

(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 015 /2021
GST Circular No. 012 /2021

2018/AC-II/1/52

01st March 2021

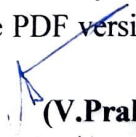
General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Submission of GST Annual Return for Financial Year 2019-20

Ref: RBA No. 09/2021/ GST Circular No. 06/2021 dated 15th February 2021

Please connect to Railway Board's captioned circular wherein inter-alia the hitherto notified due date i.e. 28th February 2021 was highlighted for filing of annual return under FORM GSTR-9 for Financial Year 2019-20. Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) vide Notification No. 04/2021 – Central Tax dated 28th February 2021 has extended the aforementioned due date to **31st March 2021**.

Pursuant to the revised due date for undertaking compliance, Principal Railways who had already filed their annual return for the respective Financial Year and had complied with the guideline brought out under the supra circular i.e. emailing of filed FORM GSTR-9 to the undersigned may kindly acknowledge this circular for information purpose only while the remaining Principal Railways shall ensure adherence to the above compliance strictly by the extended due date in consultation with their GST consultants and may share the PDF version of filed FORM GSTR-9 through e-mail at v.prakash@nic.in.


(V.Prakash)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to:

1. All EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
2. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board.
3. PFAs, All Zonal Railways and Production Units.
4. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS

(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 015 /2021
जीएसटी परिपत्र सं. 012 /2021

2018/एसी-II/1/52

01 मार्च, 2021

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरना।

संदर्भ: दिनांक 15 फरवरी, 2021 का आरबीए सं. 09/2021 / जीएसटी परिपत्र सं.06/2021.

कृपया रेलवे बोर्ड के अनुशीर्षित (captioned) परिपत्र का अवलोकन करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्त वर्ष 2019-20 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न भरने के लिए अभी तक अधिसूचित नियत तारीख 28 फरवरी, 2021 उजागर की गई थी। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांक 28 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 04/2021-सैंट्रल टैक्स के तहत ऊपर उल्लिखित नियत तारीख को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया है।

अनुपालन करने के लिए संशोधित नियत तारीख के अनुसार, प्रधान रेलें जिन्होंने संबंधित वित्त वर्ष के लिए पहले ही अपनी वार्षिक रिटर्न दाखिल कर दी थी और उपर्युक्त परिपत्र के अंतर्गत उल्लिखित दिशानिर्देशों अर्थात् अधोहस्ताक्षरी को दाखिल किए गए फॉर्म जीएसटीआर-9 को ईमेल से भेजने का अनुपालन किया था, कृपया इस परिपत्र को केवल सूचना के प्रयोजन के लिए समझे जबकि बाकी प्रधान रेलें अपने जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से बढ़ाई गई नियत तारीख तक उपर्युक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और दाखिल किए गए फॉर्म जीएसटीआर-9 के पीडीएफ वर्जन को ईमेल v.prakash@nic.in के माध्यम से साझा करें।



(वी. प्रकाश)

निदेशक/लेखा

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड के सभी कार्यपालक निदेशक।
2. निदेशक स्तर जीएसटी कक्ष, रेलवे बोर्ड के सभी निदेशक।
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
4. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस।